कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा / माध्य / ऑडिट / ए.जी.–4 / 16–17 / पैरा / दिनांक 22/11/17

समस्त उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा.................................. ।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम / द्वितीय............................ ।

विषयः– निरीक्षण प्रतिवेदन के आक्षेपों की अनुपालना निर्धारित अवधि में भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5), जयपुर का पत्रांकः प. 6(1)शिक्षा–5 / 2015 दिनांक 13.11.17

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा शासन ने महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की अनुपालना नियमानुसार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी होने की तिथी से 1 माह की अवधि में विभागाध्यक्ष की टिप्पणी सहित प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया जाना पाया जाने के कारण निर्धारित अवधि में उक्त कार्यवाही करने बाबत् निर्देश दिये है। इसक्रम में निर्देशित किया जाता है कि महालेखाकार / निरीक्षण विभाग जयपुर द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत संस्थाओं के किये गये लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त होते ही तुरन्त प्रथम अनुपालना निर्धारित प्रारूप में वांछित साक्ष्यों की प्रतियों सहित अपने नियत्रंण अधिकारी के माध्यम से दो प्रतियों में इस कार्यालय को भिजवाना हेतु अपनी अधीनस्थ संस्थाओं को पाबंद करें। साथ ही आप अपने स्तर पर भी उक्त कार्य का समूचित रूप से पर्यवेक्षण कर रिकॉर्ड संधारण करें एवं निकट भविष्य में समीक्षा पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार पालनाएं इस कार्यालय को भिजवावें।

<u>विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है कि अनुपालना किसी भी स्थिति में सीधे ही महालेखाकार कार्यालय एवं निरीक्षण विभाग को प्रेषित नहीं करें।</u>

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा / माध्य / ऑडिट / ए.जी.–4 / 16–17 / पैरा / दिनांक

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. उप महालेखाकार कार्यालय प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक जीएसएस / एस–1 / पीआर / 17–18 / 2128 दिनांक 3.11.2017 केक्रम में
2. निदेशक, निरीक्षण विभाग, चतुर्थ तल, ए ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5), जयपुर को उनके पत्रांकः प.6(1)शिक्षा–5 2015 दिनांक 13.11.17 केक्रम में।
4. सम्पादक, शिविरा प्रकाशन अनुभाग को शिविरा पत्रिका में प्रकाशनार्थ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

D/A.G.-4

ऑडिट ए.जी. अनुभाग, मुख्य भवन, प्रथम मंजिल, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर
दूरभाषः– 0151–2527065 Email ID- aao.ag.dse@rajasthan.gov.in

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/ऑडिट/ए.जी.–10/एसीडीसी/17–18/ दिनांक 20/11/17

उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
जयपुर।

विषयः– बकाया ए.सी/डी.सी. बिलों के समायोजन के संबंध में।
प्रसंगः– इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 30.10.17 एवं 16.11.17

उपर्युकत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा आपके कार्यालय के अग्रलिखित एसी बिल, जिसका समायोजन आज दिनांक तक बकाया है के डीसी बिल महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया हो तो इस कार्यालय को सक्षम साक्ष्यों सहित दो प्रतियों में 3 दिवस में उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। वांछित सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना मय स्पष्टिकरण के दिनांक 24.11.2017 तक इस कार्यालय में उपलब्ध करवावें।

क्र. सं.	संबंधित संस्था	एसी बिल नं. /दिनांक	टीवी नं. /दिनांक	राशि	बजट मद
1.	उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	101/21.08.2017	48591	1523000/–	2202–02–001 –02–01–29

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/ऑडिट/ए.जी.–10/एसीडीसी/17–18/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रधान महालेखाकार, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैब साईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

ऑडिट ए.जी. अनुभाग, मुख्य भवन, प्रथम मंजिल, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर
दूरभाषः– 0151–2527065 Email ID- aao.ag.dse@rajasthan.gov.in